भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1987
दिनांक 05 अगस्त, 2026 / 14 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

कुर्मी भाषा को संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल किया जाना

1987 श्री समीरुल इस्लामः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुर्मी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हाँ, तो इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): 'कुर्मी' भाषा सहित, समय-समय पर संविधान की आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने की मांग उठती रही है। हालाँकि, किसी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबन्धित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है। चूंकि किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड वर्तमान में निर्धारित नहीं हैं, इसलिए संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।
